

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
अधिसूचना

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(बियाडा) अधिनियम-१९७४ के उपधारा १४(म) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपलब्ध भूमि की तुलना में औद्योगिक भूखण्डों की बढ़ते हुए मांग को ध्यान में रखते हुए बियाडा के नियंत्राधीन औद्योगिक क्षेत्रों में बियाडा द्वारा भू-आवंटन से संबंधित नीति व प्रक्रिया के संदर्भ में बिहार सरकार निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्गत करती है।

१. औद्योगिक भूमि का रेखांकन

१.१ किसी औद्योगिक क्षेत्र में बियाडा को कुल उपलब्ध कुल भूमि को विभिन्न श्रेणियों में निम्नलिखित रूप में विभक्त किया जायगा :-

- (i) ०.२५ एकड़ तक
- (इ) ०.२५ एकड़ से अधिक एवं ०.५० एकड़ तक।
- (ब) ०.५० एकड़ से अधिक एवं १.०० एकड़ तक।
- (क) १.०० एकड़ से अधिक एवं २.०० एकड़ तक।
- (म) २.०० एकड़ से अधिक एवं ५.०० एकड़ तक
- (f) ५.०० एकड़ से ऊपर।

१.२ तथापि भूमि खण्डों का निर्धारण ऐसे किया जाए ताकि कम से कम :-

- (i) उपलब्ध भूमि का २० % का विभाजन ऐसे भू-खंडों में किया जायगा जिनका रकवा ०.२५ एकड़ या उससे कम हो और
- (इ) उपलब्ध भूमि का २०% का विभाजन ऐसे भू-खंडों में किया जाएगा जिनका रकवा २ एकड़ से अधिक हो।
- (ब) शेष ६० % उपलब्ध भूमि विभिन्न आकार के भू-खंडों में मांग/उद्यमियों के जरूरत के मद्देनजर समय-समय पर लिए गए निदेशक पर्वद के निर्णयानुसार विभाजित की जाएगी।

१.३ संभावित आवेदक को आवंटन हेतु उपलब्ध भू-खंडों की सूची बियाडा अपने वेबसाईट (www.biadabihar.in) पर उपलब्ध कराएगा। उपलब्ध भू-खंड की संख्या तथा रकवा वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी एवं उसे प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को अद्यतन किया जाएगा।

१.४ भू-खंडों के आकार विशेष के श्रेणियों के लिए ही आवेदनों को आमंत्रित किया जायेगा। निदेशक पर्वद, बियाडा के किसी औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध पूरी जमीन/भू-खंड को एक ही समय में आवंटित नहीं करने हेतु निर्णय ले सकता है और औद्योगिक क्षेत्र के तहत विभिन्न श्रेणियों एवं भू-खंडों का आवंटन अलग-अलग स्तर एवं समय पर कर सकता है।

२. उद्देश्य जिसके लिए आवंटन किया जा सकता है

- २.१ प्राधिकार का पर्वद भूमि आवंटन के योग्य प्रक्षेत्रों पर निर्णय हेतु सक्षम होगा।
- २.२ तथापि, एक बार निर्णय लेने के उपरांत कम से कम एक वर्ष के लिए वह स्थिर रहेगा एवं एक वर्ष के बाद उसकी समीक्षा (१) जमीन की उपलब्धता (२) विभिन्न प्रक्षेत्रों में भूमि की माँग (३) सरकार की औद्योगिक नीति एवं प्राथमिकता क्षेत्रों, के मद्देनजर की जाएगी। ध्यातव्य है कि वर्तमान में निम्नलिखित कार्य हेतु भूमि आवंटित की जा रही है :-
- (i) उत्पादन/प्रोसेसिंग (डाटा प्रोसेसिंग सहित)
 - (इ) सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं सहित आई०टी० पार्क/औद्योगिक पार्क
 - (ब) सामान्य व्यवस्थात्मक सुविधा
 - (क) उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र यथा - आई०टी०आई०/आई०टी०सी०/निपुणता विकास केन्द्र।

- २.३ राज्य सरकार के पास यह अधिकार होगा कि किसी विशेष औद्योगिक क्षेत्र या उसके अंश को विशिष्ट कार्य हेतु सुरक्षित रखे और वैसी स्थिति में उस क्षेत्र या उसके अंश का उसी विशिष्ट कार्य हेतु आवंटन होगा जब तक की सरकार उसका परिवर्तन या सुरक्षित सूची से बाहर नहीं करे।
- २.४ ऐसी स्थिति में जिसमें किसी उद्योग या संस्थान की स्थापना से राज्य के हित में व्यापक लाभ हो, सरकार विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विशिष्ट भू क्षेत्र को आवंटन हेतु निर्देश दे सकती है और यह प्राधिकार के लिए बाध्यकारी होगा।

३. आवंटन हेतु सक्षम प्राधिकार

बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार (वित्तीय, सेवा एवं तकनीकी) विनियमन अधिनियम २००७ में निहित अधिनियम १.४ में एक परियोजना समाशोधन समिति की व्यवस्था है जिसके सदस्य निम्नांकित हैं :-

- (प) प्रबंध निदेशक, बियाडा।
- (पप) सभी कार्यकारी निदेशक।
- (पपप) उद्योग निदेशक या उनके प्रतिनिधि।
- (पअ) संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार।
- (अ) अध्यक्ष, बिहार प्रदूषण नियंत्रण समिति या उनके प्रतिनिधि।

- (अप) बियाडा के सलाहकार - प्रबंध निदेशक द्वारा नामित।
- (अपप) प्रधान, भारतीय उद्योग मंडल, पटना या उनके द्वारा नामित व्यक्ति।

(अपप) बिहार उद्योग संघ के प्रतिनिधि।

३.२ परियोजना समाशोधन समिति को सभी परियोजनाओं एवं अन्य खर्च/व्यय के प्रस्ताव पर विचारार्थ शक्ति प्रदत्त है। भूमि आवंटन हेतु सक्षम स्वीकृति प्राधिकार प्रबंध निदेशक होंगे लेकिन आवंटन परियोजना समाशोधन समिति के माध्यम से होगा।

४. आवंटन की प्रक्रिया

४.१ प्रबंध निदेशक, बियाडा निम्नांकित दिशा-निर्देश के अनुसार औद्योगिक भूमि के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों का प्री-स्क्रीनिंग करेंगे।

४.२ प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित मापदंडों व भारिता के आधार पर एक प्रारम्भिक जाँच की जायेगी।

(a) पूर्व-अर्हता हेतु मापदण्ड

निवेशक की अपनी शुद्ध मानियत प्रस्तावित निवेश का कम से कम २० प्रतिशत होना चाहिए।

(b) वरीयता हेतु मापदंड

(i) निवेश का आकार - ३०%

(ii) निवेश श्रमिक अनुपात - ३०%

(iii) प्राथमिकता क्षेत्र - १०%

(iv) निवेश कर्त्ता का अनुभव - १०% तथा जिसे निम्न प्रकार से २० % तक बढ़ाया जायेगा

(v) पर्यावरणनुकूल तकनीक का प्रयोग - १०%

(vi) निवेश कर्त्ता के आवेदन की तिथि - १०%

४.३ उपर्युक्त कंडिका- ४.२(बी) में वर्णित वरीयता मापदंड के अनुसार विभिन्न अधिसीमा के लिए भारिता देने का निर्णय निदेशक पक्ष, बियाडा द्वारा किया जायेगा।

४.४ भविष्य में भूमि उपलब्ध होने पर ही भविष्य में आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

४.५ न्यूनतम अर्हता हेतु प्राप्त अंक का निर्णय पी०सी०सी० द्वारा किया जायेगा और वरीयता सूची बनाने के पूर्व इसकी सूचना आवेदकों को दे दी जायेगी। यदि किसी श्रेणी में उपलब्ध भू-खंडों की संख्या से आवेदनों की संख्या अधिक होती है तो पी०सी०सी० उस वर्ग में भू-खंडों की संख्या का पाँच गुणा में से लॉटरी द्वारा आवंटन हेतु निर्णय लेगी। पी०सी०सी० द्वारा लॉटरी का आयोजन एक पूर्व निर्धारित तिथि को किया जायेगा जिसमें आवेदकों को उपस्थित रहने हेतु आग्रह किया जाएगा।

:४:

४.६ ऐसे सभी असफल आवेदक जो प्री-स्क्रीनिंग अथवा लॉटरी प्रक्रियाँ से बाहर हो चुके हैं, उनकी जमानत राशि लौटा दी जायेगी। तदोपरान्त भविष्य में जब कभी भू-खंड उपलब्ध होगा तो वे पुनः अपना आवेदन समर्पित करने के अयोग्य होंगे।

४.७ वैसी इकाईयों जिनका निवेश ५० करोड़ से अधिक का है, उन्हें भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी बशर्ते कि भूमि उपलब्ध हो।

५. आवेदन प्राप्ति की प्रक्रिया

५.१ नई प्रक्रिया एवं मूल्य (पृथक रूप से निर्णय लिया जायेगा) के अधिसूचित होने के उपरांत एक माह की समय-सीमा देते हुए उपलब्ध भू-खंडों के लिए नया आवेदन आमंत्रित किया जायेगा। तदुपरांत इन आवेदनों के साथ पूर्व के लंबित पुराने आवेदनों को पुनरीक्षित नीति, प्रक्रिया एवं मूल्य के अनुसार निष्पादित किये जायेंगे।

५.२ पूर्व माह के अंतिम दिन को भूमि उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए माह की १५ तारीख को संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा और विज्ञापन की तिथि से ६० दिनों भीतर उनका निष्पादन कर दिया जायेगा। वर्तमान में लगातार आवेदन प्राप्ति की पद्धति पर तत्काल रोक लगाई जाती है।

६.० इस नीति के सुगम क्रियान्वयन हेतु एवं / अथवा बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार समय-समय पर आवश्यकतानुसार अन्य या अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

आदेश:- यह आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक एवं मुख्य पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 19.12.13

ज्ञापांक- 5390

सं.सं. - 5160/90 (सं.सं.जी.) - 20/2012 (सं.सं.)

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध किया जाता है कि बिहार राजपत्र की 9000 प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायें।

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 19.12.13

ज्ञापांक- 5390

सं.सं. - 5160/90 (सं.सं.जी.) - 20/2012 (सं.सं.)

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार राजपत्र की 9000 प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायें।

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 19.12.13

ज्ञापांक- 5390

सं.सं. - 5160/90 (सं.सं.जी.) - 20/2012 (सं.सं.)

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

5390

सं.सं. - 5/10/20 (ए.ब.ए.पी.) - 20/12/2012 (क.प.)

पटना, दिनांक- 19.12.13

प्रतिलिपि:- सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/मुख्यमंत्रियों के प्रधान आप्त सचिव/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

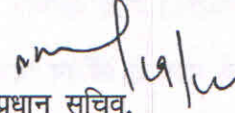
ज्ञापांक-

5390

सं.सं. - 5/10/20 (ए.ब.ए.पी.) - 20/12/2012 (क.प.)

पटना, दिनांक- 19.12.13

प्रतिलिपि:- सभी निदेशक, उद्योग विभाग/उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी निगम/प्राधिकार/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

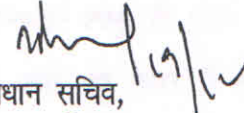
ज्ञापांक-

5390

सं.सं. - 5/10/20 (ए.ब.ए.पी.) - 20/12/2012 (क.प.)

पटना, दिनांक- 19.12.13

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें तथा इसकी प्रति अधीक्षक, ई-गजेट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को भेजें।



प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।